संख्या-1/2017/07/12-4-17-1775/2009

प्रेषक,

बी0 राम शास्त्री,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक, कृषि,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक : 04 जनवरी, 2017

विषय:- वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन (भाग-1) द्वारा वाहन चालक संवर्ग के संबंध में की गयी पूर्व संस्तुतियों पर पुनर्विचार करते हुए दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-मु0प्र0(।।)/2706/स्था0/वा0चा0पा0-36पार्ट-।।, दिनॉक 03-12-2014 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-652/दस-2012-54(एम)/2008टीसी, दिनॉक 31-01-2013 द्वारा वाहन चालक संवर्ग के संबंध में किये गये पुनर्गठन के आधार एवं उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा नियमावली (यथा संशोधित) में वर्णित व्यवस्थानुसार कृषि विभाग, उ0प्र0 में वर्तमान में मुख्यालय संवर्ग के 22 तथा जनपदीय संवर्ग के 864 उपलब्ध पदों को दिनॉक 14-06-2012 से अनुलग्नक की तालिका-1 व 2 के रूप में पुनर्गठित किये जाने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि।

(बी0 राम शास्त्री)
विशेष सचिव।

संख्या-1/2017/07(।)/12-4-2017, तददिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त (वेतन आयोग), अनुभाग-1/2.
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5.
(5) निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण ब्यूरो।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2017/07(II)/12-4-17-1775/2009, दिनाँक 04 जनवरी, 2017 का अनुलग्नक

तालिका-1 (मुख्यालय संवर्ग)

क्र0 सं0	पदनाम/ ग्रेड	वेतनमान/वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदों का प्रतिशत	प्रतिशत के अनुसार पदों की संख्या	भर्ती की विधि
1	2	3	4	5	6
1	ड्राईवर ग्रेड-4	वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20200) एवं ग्रेड वेतन 1900	30	07	(एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के अर्हताएं उ0प्र0 सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा नियमावली (यथा संशोधित) के अनुसार (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त क्लीनरों और समूह-"घ" कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राईविंग लाईसेंस रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग में, पोषक संवर्ग या पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो ऐसी रिक्तियों को उपखण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।
2	ड्राईवर ग्रेड-3	वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20200) एवं ग्रेड वेतन 2400	25	06	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राईवर ग्रेड-4 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
3	ड्राईवर ग्रेड-2	वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20200) एवं ग्रेड वेतन 2800	20	04	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राईवर ग्रेड-3 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राईवर ग्रेड-3 के पद पर छः वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राईवर ग्रेड-4 और ड्राईवर ग्रेड-3 के पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
4	ड्राईवर ग्रेड-1	वेतन बैण्ड-2 (रू0 9300-34800) एवं ग्रेड वेतन 4200	15	03	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राईवर ग्रेड-2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राईवर ग्रेड-2 के पद पर तीन वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					पदोन्नति द्वारा।
5	ड्राईवर (विशेष श्रेणी)	वेतन बैण्ड-2 (रू0 9300-34800) एवं ग्रेड वेतन 4600	10	02	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राईवर ग्रेड-1 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

तालिका-2 (जनपदीय संवर्ग)

क्र0 सं0	पदनाम/ ग्रेड	वेतनमान/वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदों का प्रतिशत	प्रतिशत के अनुसार पदों की संख्या	भर्ती की विधि
1	2	3	4	5	6
1	ड्राईवर ग्रेड-4	वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20200) एवं ग्रेड वेतन 1900	30	259	(एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के अर्हताएं उ0प्र0 सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा नियमावली (यथा संशोधित) के अनुसार (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त क्लीनरों और समूह-"घ" कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राईविंग लाईसेंस रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग में, पोषक संवर्ग या पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो ऐसी रिक्तियों को उपखण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।
2	ड्राईवर ग्रेड-3	वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20200) एवं ग्रेड वेतन 2400	25	216	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राईवर ग्रेड-4 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
3	ड्राईवर ग्रेड-2	वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20200) एवं ग्रेड वेतन 2800	20	173	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राईवर ग्रेड-3 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राईवर ग्रेड-3 के पद पर छः वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राईवर ग्रेड-4 और ड्राईवर ग्रेड-3 के पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	ड्राईवर ग्रेड-1	वेतन बैण्ड-2 (रू0 9300-34800) एवं ग्रेड वेतन 4200	15	130	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राईवर ग्रेड-2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राईवर ग्रेड-2 के पद पर तीन वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
5	ड्राईवर (विशेष श्रेणी)	वेतन बैण्ड-2 (रू0 9300-34800) एवं ग्रेड वेतन 4600	10	86	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राईवर ग्रेड-1 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
		कुल पद		864	

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-652/दस-2012-54(एम)/2008टीसी, दिनॉक 31-01-2013 में वाहन चालक के उपर्युक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों पर भर्ती/पदोन्नति/समायोजन के संबंध में निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाय :-

"उक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन के उपलब्ध पदों पर वर्तमान में निम्न स्तर के पदों पर कार्यरत पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर एक मुश्त समायोजन कर दिया जाय। उक्तानुसार समायोजित होने वाले पदधारकों का संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-59(एम)/2008, दिनॉक 24 दिसम्बर, 2009 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008टीसी, दिनॉक 29 जून, 2010 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। एक मुश्त समायोजन की सुविधा सिर्फ एक बार ही दी जायेगी। उक्त सुविधा के उपरान्त रिक्त होने वाले पदों को संबंधित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार ही भरा जायेगा।"

कालम संख्या-3 में वेतनमानों का उल्लेख छठे वेतन आयोग/रिजवी समिति की संस्तुतियों के अनुरूप अंकित किया गया है। उक्त कालम में अंकित समस्त वेतनमान/ग्रेड पे सातवें वेतन आयोग/पटनायक वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुरूप संशोधित समझा जायेगा।

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।